

129

9-31

समाहरणालय, चतरा।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक...../रा0 दिनांक.....

प्रेषक, उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में, आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग,

विषय:- चतरा जिलान्तर्गत अंचल-सिमरिया, लावालौंग, चतरा एवं हंटरगंज में 400 KV D/C नार्थ कर्णपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-92.123 ए0 गैरमजरूआ भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण।

प्रसंग:- सहायक प्रबंधक, नार्थ करणपुरा, ट्रान्सको लिमिटेड का पत्रांक-NKTL (S) 2020-21/F75, दिनांक-09.09.2020, पत्रांक-NKTL (S) 2020-21/F100, दिनांक-10.02.2021 पत्रांक-NKTL(S)/2020-21/108 दिनांक-23.02.2021 एवं पत्रांक-NKTL (S)/2020-21/123, दिनांक-16.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में चतरा जिलान्तर्गत अंचल-सिमरिया, लावालौंग, चतरा एवं हंटरगंज में 400 KV D/C नार्थ कर्णपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-92.123 ए0 गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में इस पत्र के साथ संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4908/रा0, दिनांक-17.12.2019 के आलोक में नार्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित भूमि का विभागीय संकल्प सं0-48/रा0, दिनांक-03.01.2017 के आधार पर की गई गणना कुल राशि-5,52,75,413.98 (पाँच करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार चार सौ तेरह रु0 अठानवे पैसे) का 80% राशि-4,42,20,331.00 (चार करोड़ बेयालीस लाख बीस हजार तीन सौ एकतीस) रु0 एवं 34,85,303.63 का 80% राशि मो0 27,88,243=00 रु0 विभागीय शीर्ष में E-Challan के माध्यम से NOC हेतु राशि जमा किया गया है। (E-Challan की छायाप्रति संलग्न)

अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक:-यथोक्त। विश्वासभाजन,

— Eo —
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक...../रा0, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- 1. सहायक प्रबंधक, नार्थ करणपुरा, ट्रान्सको लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

— Eo —
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक...../रा0, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- 2. प्रधान सचिव, अर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

— Eo —
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक...2.1.1.1...../रा0, दिनांक...05.08.21

प्रतिलिपि:- 3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Chandra Shekhar Singh
Assistant Manager

आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग
(राजस्व शाखा)

M-458

प्रमाण-पत्र

05.11.2021 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/उद्यमों/ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

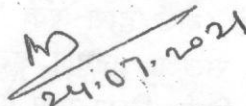
एतद आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतारा, अंचल-सिमरिया, लावालौंग, चतारा एवं हंटरगंज के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है:-

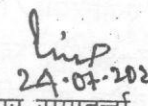
400 KV D/C नार्थ कर्णपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण:-

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमरिया	कसियातु	109	82, 41,	298P, 983P, 932, 929, 1070	2.889	गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी
2		कसारी	108	123	1623P	2.286	
3		बगरा	112	92	1203P,1226	1.982	
4		कुठान	116	12	168P	2.740	
5	लावालौंग	बक्सी	118	4	10, 33,	4.0351	
6		लम्टा	119	81	1p, 31, 304	2.9776	
7	चतरा	बड़गाँव	2018	9	5, 19, 47, 51	1.8903	
8		भांग	217	28	330P, 462P	2.4364	
9		परवत उर्फ ब्रह्मणा	213	43	60, 61, 447, 448, 485, 488, 493, 497, 510, 571, 599, 607, 680, 702, 714, 725, 815, 836P	20.4772	
10		अम्बाडीह	212	6	81P	2.0806	
11		गेरी	209	1, 30	41, 65, 68, 464, 729, 850, 858P	6.8857	
12		घुरनाडीह	210	3	25	0.299	
13		नरतमा	206	1	14, 17, 19	2.5007	
14		करमा	195	2	4, 22P, 29, 32, 40	5.0631	
15		सुरुज	194	17	21P, 45p	5.624	
16		संघरी	171	44	243P, 291P	4.5442	
17	हंटरगंज	पोस्तिया	297	92	266P, 1023, 1202P	8.5225	
18		डेमडेम	300	16	244	0.1013	
19		पैनीकला	301	78	63, 787	1.0724	
20		झागरतरी	303	1	99	3.8177	
21		राहरबार	121	19	46P	2.5550	
22		हटवरिया	111	14	47P	1.8384	
23		कासदावर	110	22	86	0.8500	
24		गायघाट	109	19	90, 134, 138	4.6554	
कुल योग-						92.123	

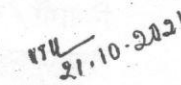
उपर्युक्त वर्णित भूमि 400 KV D/C नार्थ कर्णपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-92.123 एकड़ में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर

ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

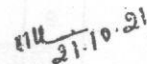

24.07.2021
जिला कल्याण पदा०,
चतरा।

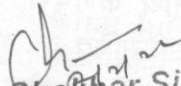

24.07.2021
अपर समाहर्ता,
चतरा।


24/8/21
उपायुक्त,
चतरा।


21.10.2021
आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

- ज्ञापांक...1310...../रा०, दिनांक...22.10.2021
- प्रतिलिपि:-
1. सहायक प्रबंधक, नार्थ करणपुरा, ट्रान्सको लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तरी/दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
 3. उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प संख्या-5/स०भू० लातेहार-1/2010 1817/रा०, राँची दिनांक-30.04.2015 में दिये गये निदेश के आलोक में Website के लिंक (Website के नाम सहित) एवं अद्यतन किये गये Upload संबंधी प्रतिवेदन विभाग को अवगत कराते हुए इसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।
 4. सरकार के अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


21.10.21
आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।


Chandra Shekhar Singh
Assistant Manager
North Karanpara Transco Limited
Ranchi

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक— 63 / रा0

दिनांक— 17.10.22

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

सहायक प्रबंधक,

नार्थ करणपुरा, ट्रान्सको लिमिटेड, रॉची।

विषय:—

400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाइन निर्माण हेतु
अपयोजित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि का सैद्धान्तिक अनापत्ति
प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

प्रसंग:—

आपका पत्रांक—NKTL (S)/2020-21-D-150, दिनांक—27.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में 400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया
ट्रान्समिशन लाइन निर्माण हेतु अंचल चतरा, सिमरिया एवं हंटरगंज में अपयोजित गैरमजरूआ
खास जंगल-झाड़ी कुल—3.765 हे0 भूमि का सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ
सलंगन कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभोजन
17/10/22
उपायुक्त,
चतरा।

Dr. R. Thanga Pandian, I.F.S.
Divisional Forest Officer
Chatra North Forest Division

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

सं० 64

दिनांक 17.01.22

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/ उद्यमों/ ऐजेन्सियों/ निगमों/ बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-सिमरिया, चतरा एवं हंटरगंज के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:-

क्र०	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (हे०में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमरिया	कासियातु	109	82	1040	0.1	गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी
				62	1043	0.084	
				66	1066	0.017	
				66	1067	0.096	
				41	1068	0.262	
				82	1069	0.75	
				82	972	0.046	
				62	973	0.288	
		केन्दु	110	101	28	0.175	
					39	0.113	
		दुन्दुआ	111	73	27	0.247	
		बगरा	112	92	513	0.166	
2	चतरा	भांग	217	28	358	1.041	
गेरी		209	1	855	0.012		
3	हंटरगंज	गायघाट ✓	109	60	88 ✓	0.062	
		पैनीखूद ✓	305	4	2	0.306	
कुल-						3.765	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, नार्थ करणपुरा ट्रान्सको लिमिटेड को 400 KV D/C नार्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त,
चतरा।

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक— 2550 / रा0

दिनांक— 16.09.2021

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

सहायक प्रबंधक,

नार्थ करणपुरा, ट्रान्सको लिमिटेड, राँची।

विषय:—

400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु
अपयोजित भूमि का नष्ट प्लॉटों से संबंधित प्रमाण-पत्र (FORM-I) का
प्रेषण।

प्रसंग:—

आपका पत्रांक—NKTL (S)/2020-21-F-129, दिनांक—03.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में 400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया
ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु अंचल चतरा, सिमरिया एवं हंटरगंज में अपयोजित भूमि का नष्ट
प्लॉटों से संबंधित प्रमाण-पत्र (FORM-I) इस पत्र के साथ सलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु
भेजा जाता है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
16/9/21
उपायुक्त,
चतरा।

Dr. R. Thanga Pandian, I.F.S.
Divisional Forest Officer
Chatra North Forest Division

प्रपत्र-I

प्रमाणित किया जाता है कि चतरा जिलान्तर्गत 400 KV D/C नार्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण में निम्नांकित सन्निहित भूमि का कैंडेस्ट्रल सर्वे (CS)/ 25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) का खतियान अंचल कार्यालय, सिमरिया, चतरा, हटरगंज एवं जिला अभिलेखागार, चतरा आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण /कटे-फटे अवस्था में हैं तथा अपठनीय हैं।

विदित है कि चतरा जिला में रिवीजनल सर्वे (RS) का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतः स्थल जाँच के आधार पर वर्तमान में भूमि की प्रकृति निम्नवत पाई गई है—

क्र० सं०	अंचल	मौजा/गाँव का नाम	थाना/थाना नं०	प्लॉट सं०	रकबा	भूमि की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7
1	सिमरिया	केन्दु	सिमरिया / 110	31	0.104	धान खेत
2		बगरा	सिमरिया / 112	728	0.014	धान खेत
3				1065	0.0949	धान खेत
4	चतरा	गेरी	चतरा/209	453	0.199	टांड
5				460	0.072	टांड
6				856	0.292	टांड
7	हटरगंज	गायघाट	हन्टरगंज/109	128	0.022	धान खेत
8				129	0.03	धान खेत
9				130	0.027	टांड
10				132	0.025	धान खेत
11				133	0.011	धान खेत
कुल—					0.8909	

अतः स्पष्ट है कि स्थल जाँच के आधार पर उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल आदि (deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।

16/9/24
उपायुक्त
चतरा।